

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 4719 / 12-1

दिनांक , चम्पावत 4-5-2024

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊं वृत्त  
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

**विषय -** चारघाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125(नया 09) के चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/31090/2017

**संदर्भ :-** अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट की पत्र संख्या 458/चारघाम परियोजना/चम्पावत बाईपास दिनांक 20.04.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 1611/12-1 दिनांक 14.02.2024 द्वारा तीन बिन्दुओं के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराई गई है, जिसके आधार पर अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र०सं०	प्रस्ताव में पाई गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1.	भारत सरकार द्वारा आहूत REC बैठक दिनांक 27-10-2023 के क्रम में वांछित सूचना आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा डम्पिंग स्थलों को कार्य पूर्ण होने के पश्चात वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है, जबकि विन्दु सं०-2 के अनुपालन में मलवा निस्तारण हेतु चयनित स्थल पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किये जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयक बाईपास के निर्माण में डम्पिंग स्थल चयनित किये गये हैं जिनमें मलुवे का निस्तारण किया जायेगा। वन भूमि की स्वीकृति के पश्चात निर्माण के दौरान मक डम्पिंग स्थल पर वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात मक डम्पिंग स्थलों को वन विभाग को हस्तान्तरण कर दिया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्न -1
2.	उक्त के अतिरिक्त प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट-1 के पैरा C(iii), एवं (iv) में प्रस्तावित मार्ग के डिजिटल एवं जियो रेफिरेन्स मानचित्रों के स्थान पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित मानचित्रों को अपलोड किया गया है एवं ऑनलाईन पार्ट-1 के पैरा-1, में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित के०एम०एल० तथा डिजिटल एवं जियो रेफिरेन्स मानचित्र अपलोड नहीं किये गये हैं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के आनलाईन पार्ट 1 के पैरा-C (III) एवं (IV) में मोटर मार्ग का डिजिटल मैप एवं जियो रिफैन्स मैप अपलोड कर दिये गये हैं। क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित के०एम०एल० एवं डिजिटल मैप एवं जी.ई.ओ. रिफरेंस मैप पार्ट-2 में अपलोड कर दिये गये हैं।

<p>प्रस्तावित मोटर मार्ग एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित के०एम०एल० फाईल तथा डिजिटल एवं जियो रेफिरेन्स मानचित्रों को ऑनलाईन पार्ट-1 एवं पार्ट-2 में यथास्थान अपलोड कराते हुए भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।</p>	<p>क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित KML तथा डिजिटल एवं जियो रिफेन्स मैप पार्ट-2 में अपलोड कर दिये गये हैं। प्रस्तावक विभाग द्वारा मैप Additional Information में अपलोड कर दिये गये हैं।</p>
--	--

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,



(आर०सी०काण्डपाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक 4719 / 12-1

तददिनांकित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।



प्रभागीय वनाधिकारी,

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

ORC